



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

/2018 पुनरीक्षण III/विगरानी/दतिया/भू.रा/2018/2067

1. कन्हैयालाल
2. सुन्दरलाल पुत्रगण स्व.उधवदास
निवासीगण गंजरावगढ़ मार्ग
दतिया, जिला-दतिया म.प्र.

विरुद्ध

1. श्रीमती चम्पा देवी स्व.श्री नंदलाल
निवासी-111/251 हर्ष नगर कानपुर उ.प्र.
2. श्रीमती सुलोचनादेवी पुत्री स्व.श्री नंदलाल
पत्नी श्री जसवंत राय, निवासी-सुमंगला
स्कूल के सामने, तिवारीपुरा, डबरा
तहसील-डबरा, जिला-ग्वालियर म.प्र.
3. अमित कुमार पुत्र स्व.श्री नंदलाल
निवासी 111/251 हर्ष नगर कानपुर उ.प्र.
4. अमर बजाज पुत्र स्व.श्री नंदलाल
निवासी 27/1 पंचकुईयां, झांसी उ.प्र.
5. श्रीमती मीना उर्फ वंशिका पत्नी श्री सुनील
सावधानी पुत्री स्व.श्री नंदलाल,
निवासी-फ्लैट नम्बर 600, आनंद लक्ष्मण
अपार्टमेंट, चैन फौवट्री चौराहा के पास,
शास्त्री नगर कानपुर, उत्तर प्रदेश
6. श्रीमती विगला पुत्री स्व.श्री उधवदास
पत्नी श्री ओमप्रकाश, निवासी-तिर्थानी
कटनी म.प्र.
7. श्रीमती नीलिमा पुत्री स्व.उधवदास पत्नी
देवीदास सुखीजा निवासी कृष्णा नगर
जिला-सतना म.प्र.
8. श्रीमती मीना पुत्री स्व.श्री उधवदास पत्नी
ईश्वरलाल, निवासी-गोदिया, महाराष्ट्र
9. श्रीमती बॉबी पुत्री स्व.श्री उधवदास पत्नी
श्री विनोद कुमार निवासी-सैल्स टैक्ट कॉलोनी
सागर मेडीकल के सामने रायपुर छत्तीसगढ़

श्री गजरा देवी पुत्र (25 वेरुट)
द्वारा आज दि. 28/3/18 को
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 16-9-18 नियत।

पलक ऑफ कोर्ट
गजरा देवी पुत्र

Shobapurkar
28/3/2018

अनुविभागीय अधिकारी दतिया द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 77/2016-17/अपील में पारित आदेश
दिनांक 16/03/2018 के विरुद्ध पुनरीक्षण अंतर्गत धारा-50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959

महोदय,

आवेदकगण निम्नानुसार पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करते हैं-

1. यह कि, अनुविभागीय अधिकारी महोदय का विवादित आदेश अवैध एवं विचारविहीन रहित होने से
निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यह कि, इस प्रकरण से संबंधित भूमि सर्वे क्रमांक-2187/4 मिन-1 क्षेत्रफल 0.405 स्थित दतिया
गिर्द का बंटवारा तहसीलदार दतिया द्वारा दिनांक 05/10/2016 को नियमानुसार कार्यवाही के
पश्चात् किया गया था।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-तीन/निगरानी/दतिया/भू.रा./2018/2067

कन्हैयालाल व अन्य विरुद्ध श्रीमती चम्पादेवी आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकार एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
17-06-2019	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी दतिया, जिला-दतिया के प्रकरण क्रमांक 77/2016-17/अपील में पारित आदेश दिनांक 16-03-2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर दतिया, जिला-दतिया के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 07-08-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>(आर0क0 जेने) 18/11/19 सदस्य</p>